कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15(3)2021/कार्मिक–भर्ती/प्रमुवसं/ 10527 दिनांक 01/11/2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान कीडा पदक विजेताओं को बिना पारी के नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम, 2020) के अध्याधीन नियम 3(8) में गठित समिति की बैठक दिनांक 08.02.2021 की अभिशंषा के क्रम में निम्न 8 खिलाडियों को राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के अन्तर्गत वनपाल के पद पर वर्ष 2020–21 की सीधी भर्ती की रिक्तियों के विरूद्ध निम्नांकित शर्तो के अधीन अन्तरिम (प्रोविजनल) नियुक्ति प्रदान की जाती है–

क्र सं.	अभ्यार्थी का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	जन्म दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	श्रेणी	खेल	पदक/वर्ष	गृह जिला	आवंटन कार्यालय का नाम
1	दीक्षांत गुप्ता	कैलाश चन्द गुप्ता	30.10.2001	12 वीं	सामान्य	शूटिंग	Gold/2020 Bronze/2016	जयपुर	उवसं, जयपुर (उत्तर)
2	बाबूलाल चौधरी	मेघराज चौधरी	07.05.1997	बी .ए.	अ.पि.व.	साईकलिंग	Silver/2016 Bronze/2019	बीकानेर	उवसं, श्रीगंगानगर
3	विराट पंत	कमला नंद पंत	02.09.1990	बी .ए.	सामान्य	वूशू	Silver/2017	उदयपुर	उवसं, वन्यजीव उदयपुर
4	कर्णव विश्नोई	मनोज कुमार मांझू	11.01.1994	बी. टेक	सामान्य	शूटिंग	Silver/2018	बीकानेर	उवसं, हनुमागढ़
5	सचिन सिंह शेखावत	सुरेन्द्र सिंह शेखावत	29.09.1996	बी.ए.	सामान्य	शूटिंग	Silver/2018	जयपुर	उवसं, एवं उप क्षेत्रीय निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का(अलवर)
6	प्रदीप कुमार भादू	पूसा राम भादू	01.05.1995	बी.ए.+ बी.पीईडी	अ..पि.व.	कब्बडी	Bronze/2020	अजमेर	उवसं, भीलवाड़ा
7	पूनम चन्द	रूघाराम	04.03.1996	स्नातक	अ..पि.व.	साईकलिंग	Bronze/2016	चुरू	उवसं, हनुमागढ़
8	श्याम सुन्दर बिश्नोई	मुखराम बिश्नोई	04.07.1997	12वीं	अ..पि.व.	साईकलिंग	Bronze/2016	बीकानेर	उवसं, वन्यजीव जैसलमेर

यह अन्तरिम (प्रोविजनल) नियुक्ति आदेश राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के अन्तर्गत एवं निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन जारी किए जाते हैः–

1. इनके चरित्र सत्यापन तथा शारीरिक मापतोल एवं स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही कार्यग्रहण के पश्चात एक माह की अवधि में विभाग द्वारा करवाई जायेगी, जिसमें इन्हें निर्धारित तिथि एवं समयानुसार उपस्थित होना होगा।
2. शारीरिक माप तौल एवं स्वास्थ्य परीक्षण में नियमानुसार उपयुक्त होना आवश्यक है।
3. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थियों को स्व–घोषणा प्रस्तुत करनी होगी एवं प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी।
4. उक्त नियुक्ति जिला पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस आयुक्त द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र के अधीन रहेगी।
5. पूर्व से राज्य सरकार/केन्द्र सरकार में सेवारत कार्मिकों को कार्यग्रहण के समय सेवारत विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. पूर्व से राज्य सरकार/केन्द्र सरकार में सेवारत कार्मिकों को कार्यग्रहण के समय सेवारत विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. इनकी वरिष्ठता कीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम, 2020) के नियम 3(10) के अनुसार निर्धारित की जावेगी।
7. इनका चयन वर्ष 2020–21 की सीधी भर्ती की रिक्तियों के विरुद्ध किया गया है। अतः विभागीय स्तर पर इनकी वरिष्ठता का निर्धारण का क्रम नियमानुसार (क्रमशः पदोन्नति/सीधी भर्ती/क्रीडा पदक विजेता खिलाडी नियुक्ति) निर्धारित किया जावेगा।
8. क्रीडा पदक विजेता नियुक्ति नियम 3(6) के अनुसार खिलाडी को 5 वर्ष की कालावधि में राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम, 2015 के अधीन वनपाल के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित/अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर उक्त नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
9. उक्त नियुक्ति 02 वर्ष की कालावधि के लिए परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर की जाती है।
10. इन परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006, 08.06.2015 तथा 30.10.2017 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा।
11. इन परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को कीडा पदक विजेताओं को बिना पारी के नियुक्ति नियम, 2017 के नियम 3(5) एवं राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के अन्तर्गत निर्धारित विशेष पाठ्यकम/व्यावसायिक पाठ्यकम/प्रशिक्षण निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना आवश्यक होगा।
12. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीविक्षा अवधि/प्रशिक्षण अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये तो विभाग नियमानुसार इन्हें सेवा से तुरन्त प्रभाव से विमुक्त कर सकेगा।
13. सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. जो अभ्यर्थी विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जीवित संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने, दहेज न लेने संबंधी घोषणा, उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चात्वर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान उत्पन्न हुई है, तो ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जावेगा।
15. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेंगी।
16. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में आवंटित संबंधित कार्यालय में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा।

(डॉ.दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान,जयपुर

मांक एफ 15(3)2021 / कार्मिक–भर्ती / प्रमुवसं / दिनांक 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग (स्वतंत्र प्रभार),राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. संबंधित मुख्‍ य वन संरक्षक.............................
7. संबंधित उप वन संरक्षक.....................................
8. श्री दीक्षांत गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चंद गुप्ता पता– 20 सोनावाड़ी, तह0– गोपालपुरा वाईपास जिला–जयपुर।
9. श्री बाबू लाल चौधरी पुत्र श्री मेघराज चौधरी पता– करणीसर तहसील, बीकानेर जिला –बीकानेर।
10. श्री विराट पंत पुत्र श्री कमला नन्द पंत पता–सी/ओ क़मलानंद पंत, 402 लोटस पार्क, पीएफ ऑफिस रोड चित्रकूट नगर, भुवाणा उदयपुर ।
11. श्री कर्णव विश्नोई पुत्र श्री मनोज कुमार मांझू पता–एस/ओ मनोज कुमार मांझू, 27, गांधी नगर, लालगढ़ यू.आई.टी., बीकानेर।
12. श्री सचिन सिंह शेखावत पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत पता–एस/ओ सुरेन्द्र सिंह शेखावत, ई 377 बैंक कॉलोनी मुरलीपुरा रोड नम्बर 2 जयपुर विश्वकर्मा औद्योगिकी क्षेत्र जयपुर।
13. श्री प्रदीप कुमार भादू पुत्र श्री पूसा राम भादू पता–एस/ओ पूसराम भादू, एस. डब्ल्यू.आर. सी सेक्टर के पास, गांव तिलोनिया, अजमेर।
14. श्री पूनम चन्द पुत्र श्री रूघाराम पता– निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला –चुरू।
15. श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई पुत्र श्री मुखराम बिश्नोई पता–एस/ओ मुखराम बिश्नोई, भूतनाथ मंदिर के पीछे, चुगीं चौकी गजनेर रोड, बीकानेर।
16. गोपनीय अनुभाग/निजी पत्रावली/रक्षी पत्रावली।

संलग्न:–सम्बधित अभ्यर्थी के आवेदन पत्र म॰एवं संम्बधित अभिलेख मूल।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित–प्रस्थापना),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान जयपुर